TaxcodeIN | www.taxcode.in

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Determined Amount | | | | | |
| | | | | | | |

Place:
Date:

Signature:
Name of the Appellate Authority / Revisional Authority/ Tribunal / Jurisdictional Officer
Designation:
Jurisdiction: ".

[F. No. 20/06/16/2018-GST]

Dr. SREEPARVATHY S.L. Under Secy.

**Note :** The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide notification No. 3/2017-Central Tax, dated the 19th June,2017, published vide number G.S.R 610 (E), dated the 19th June, 2017 and last amended vide notification No. 60/2018 - Central Tax, dated the 30th October, 2018, published vide number G.S.R 1075 (E), dated the 30th October, 2018.

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2018

**सं. 75/2018-केन्द्रीय कर**

**सा.का.नि. 1252(अ).**— केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्यांक सा.का.नि.53(अ), तारीख 23 जनवरी, 2018 द्वारा प्रकाशित, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना संख्यांक 4/2018- केन्द्रीय कर, तारीख 23 जनवरी, 2018 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"परंतु यह और कि उक्त अधिनियम की धारा 47 के अधीन संदेय विलंब फीस की रकम ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के लिए अधित्यक्त हो जाएगी, जो मास/तिमाही जुलाई, 2017 से सितम्बर, 2018 तक के लिए, देय तारीख तक प्ररूप जीएसटीआर-1 में जावक प्रदायों के ब्यौरे देने में असफल रहे हैं, किंतु उन्होंने 22 दिसंबर, 2018 से 31 मार्च, 2019 तक की बीच की अवधि के उक्त ब्यौरे प्ररूप जीएसटीआर-1 में दे दिए है।"।

[फा. सं. 20/06/16/2018-जीएसटी]

डॉ. श्रीपार्वती एस.एल, अवर सचिव

**टिप्पण :** मूल अधिसूचना संख्यांक 4/2018-केन्द्रीय कर, तारीख 23 जनवरी, 2018, भारत के राजपत्र, असाधारण में संख्यांक सा.का.नि. 53(अ), तारीख 23 जनवरी, 2018 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 31st December, 2018

**No. 75/2018-Central Tax**

**G.S.R. 1252(E).**— In exercise of the powers conferred by section 128 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue No. 4/2018– Central Tax, dated the 23rd January, 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R.53(E), dated the 23rd January, 2018, namely:–

TaxcodeIN | www.taxcode.in

TaxcodeIN | www.taxcode.in


In the said notification, after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely:–

"Provided further that the amount of late fee payable under section 47 of the said Act shall stand waived for the registered persons who failed to furnish the details of outward supplies in FORM GSTR-1 for the months/quarters from July, 2017 to September, 2018 by the due date but furnishes the said details in FORM GSTR-1 between the period from 22nd December, 2018 to 31st March, 2019.".

[F. No. 20/06/16/2018-GST]

Dr. SREEPARVATHY S.L., Under Secy.

**Note :** The principal notification No. 4/2018-Central Tax, dated 23rd January, 2018 was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 53 (E), dated the 23rd January, 2018.

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2018

**सं. 76/2018- केन्द्रीय कर**

**सा.का.नि. 1253(अ).**—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्यांक सा.का.नि.1126(अ), तारीख 1 सितंबर, 2017 द्वारा प्रकाशित, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना संख्यांक 28/2017-केन्द्रीय कर, तारीख 1 सितंबर, 2017, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड में संख्यांक सा.का.नि.1326(अ), तारीख 24 अक्तूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना संख्यांक 50/2017-केन्द्रीय कर, तारीख 24 अक्तूबर, 2017 और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्यांक सा.का.नि.1420(अ), तारीख 15 नवंबर, 2017 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 64/2017-केन्द्रीय कर, तारीख 15 नवंबर, 2017 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया था या करने का लोप किया गया था, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 47 के अधीन देय तारीख तक जुलाई, 2017 मास के पश्चात् के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी देने में असफल रहने के लिए संदेय ऐसी विलंब फीस की रकम को अधित्यक्त करती है जो ऐसी असफलता के जारी रहने के दौरान प्रत्येक दिन के लिए पच्चीस रुपए की रकम से अधिक है :

परंतु जहां उक्त विवरणी में संदेय केन्द्रीय कर की कुल रकम शून्य है वहां ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा, उक्त अधिनियम की धारा 47 के अधीन देय तारीख तक जुलाई, 2017 मास के पश्चात् के लिए उक्त विवरणी देने में असफल रहने हेतु संदेय विलंब फीस की रकम उस विस्तार तक अधित्यक्त कर दी जाएगी, जो ऐसी असफलता के जारी रहने के दौरान प्रत्येक दिन के लिए दस रुपए की रकम से अधिक है :

परंतु यह और कि उक्त अधिनियम की धारा 47 के अधीन संदेय विलंब फीस की रकम, ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के लिए अधित्यक्त की जाएगी, जो देय तारीख तक जुलाई, 2017 से सितंबर, 2018 मास तक के लिए **प्ररूप जीएसटीआर-3ख** में विवरणी देने में असफल रहे हैं किंतु उन्होंने 22 दिसंबर, 2018 से 31 मार्च, 2019 तक की अवधि के बीच उक्त विवरणी दे दी है ।"।

[फा. सं. 20/06/16/2018-जीएसटी]

डॉ. श्रीपार्वती एस.एल, अवर सचिव

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 31st December, 2018

**No. 76/2018-Central Tax**

**G.S.R. 1253(E).**— In exercise of the powers conferred by section 128 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), the Central Government, on the recommendations of the Council , and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue No. 28/2017 – Central Tax, dated the 1st September, 2017 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 1126 (E), dated the 1st September, 2017, notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue No. 50/2017 – Central Tax, dated the 24th October, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 1326 (E), dated the 24th October, 2017 and notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 64/2017– Central Tax, dated the 15th November, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R.1420(E), dated the 15th November, 2017, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, hereby waives the amount of late fee

TaxcodeIN | www.taxcode.in